

**नगर परिषद
मल्हारगढ़,
जिला:-मंदसौर (म.प्र.)**

ऑडिट रिपोर्ट - 2019-20

ऑडिटर

पितलिया एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

प्रधान कार्यालय : 304, पावापुरी भवन, एम. जी. रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई-66

शाखा कार्यालय: 05, रतन निवास, गांधीचौराहा, पिपलियामंडी, मन्दसौर, (म.प्र.)

+91 9022854334, 9867242087 abhishekpitlia@gmail.com

नगर परिषद, मल्हारगढ़

ऑडिट रिपोर्ट 2019-20

| क्र. सं. | विवरण | ऑडिटर का अवलोकन |
|----------|--|---|
| 1. | राजस्व का ऑडिट | |
| I | ऑडिटर विभिन्न स्रोतों से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं: |
| II. | ऑडिटरप्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तकों के काउंटर फ़ाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाता है उसकी की भी जाँच करें। | ऑडिटर ने प्राप्त राजस्व को रसीद पुस्तकों के काउंटर फ़ाइलों और बैंक खातों से जाँच कि है और पाया कि नगर परिषद ने नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति संबंधित बैंक खाते में समय पर जमा किया है। |
| III. | प्राप्त राजस्व कार्यकारी दिनों से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/सीएमओ के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा। | ऑडिटरके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। |
| IV | ऑडिटर द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों सत्यापित किया जाएगा। | ऑडिटर ने कैश बुक की प्रविष्टियों की जाँच कि है जो विधिवत पाई गयी है। |
| V | ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रैमासिक और मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। | ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली का लेखा परीक्षा किया है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के लिए |



| | | |
|-----------|--|---|
| | राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामिओं ऑडिटर रिपोर्ट का एक हिस्सा होगी । | अनुसूची-1 देखें. |
| VI | ऑडिटर एफ.डी. ब्याजआय की जाँच करेगा और ब्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट किहेउसकी जाँचभी करें। | ऑडिटर ने कैश बुक की प्रविष्टियों की जाँच कि है और ब्याज आय विधिवत और समय पर प्रविष्ट पाई गयी है। |
| VII | यदिनिवेश कम ब्याज दरों पर किया होतो मामलों को आयुक्त /सी. एम. ओ.के नोटिस में तुरंत लाया जाएगा। | ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। |
| 2. | <u>खर्चों का ऑडिट:</u> | |
| I | ऑडिटर सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है: |
| II | ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों और वाउचर की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने कैश बुक में व्यय सम्बंधित की प्रविष्टियों एवं प्रासंगिक वाउचर की जाँच कि है जो विधिवत पाई गयी है। |
| III | ऑडिटर मासिक रोकड़ बही की शेष राशि की जांच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी हे तो सुधार के लिए एकाउंटेंट को गाइडकरने लिए जिम्मेदार है। | ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रैमासिक) नहीं करती है ।यह मिलान वार्षिक आधार पर करती है ऑडिट अवधी में दोनों शेष अनुसूची -2 देखें. सुधार के लिए निर्देश देने कि सलाह दी जाती |



| | | |
|-----|--|--|
| | | है। |
| IV | ऑडिटर जाँच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सीमित है, यदि निश्चित सीमा से अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाएगा। | ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाए। |
| V | ऑडिटर जाँच करेगा, कि व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों और नियमों के अनुसार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा कि है और पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये हे वो दिशा निर्देश एवं नियमों के अनुसार है। (निचे दी गई पार्टियों के सम्बन्ध में TDS वर्ष २०१९-२० हेतु नहीं काटा गया विवरण इस प्रकार है) अनुसूची -3 देखें |
| VI | ऑडिटर वित्तीय संपत्ति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा, किसभी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबंध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये है। | ऑडिटर ने पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये हे वो वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबंध (सैंक्शन) किये गए हे, सीमा में खर्च किये है। |
| VII | वे सभी मामले जिनमे उचित प्रतिबंध (सैंक्शन) नहीं ली गयी हे ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटरगत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो | ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है जो आयुक्त / सी. एम. ओ. की सूचना में लाया जाए। |



| | | |
|------|--|---|
| | आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा। | |
| VIII | ऑडिटर योजना और परियोजनाके अनुसारउपयोगिता प्रमाण पत्र(यु. सी.) का सत्यापन करेगा, यहउपयोगिता प्रमाण पत्रआय, व्यय एवं स्थायी संपत्तिकेनिर्माण से मिलान होना चाहिए । | नगर परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु. सी.) वर्ष 2019-20 के लिए बनाया गया ! इस प्रकार संपत्ति के निर्माण कार्य प्रचलित है उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु. सी.) नहीं बनाया गया |

| | | |
|-----|---|---|
| 3. | बुक कीपिंग का ऑडिट: | |
| I | ऑडिटर लेखा खातों की जाँच के लिए जिम्मेदार है, लेखा खातों अच्छी तरह से स्टोर हैकी नहीं उसकी भी सूचना करेगा। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा खातों की परीक्षा कि है,इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गएहै: |
| II | ऑडिटर जाँच एवंसूचना के लिए जिम्मेदार हैकी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागू बनाए है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है । | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए खातोंजाँच कि है और पाया की नगर परिषद नेखातेको लेखा नियमों के अनुसार बनाए है । अनुसूची - 4 देखें |
| III | ऑडिटर अग्रिम रजिस्टर की जाँच करेंऔर यह रिपोर्ट करेकी सभी अग्रिमों की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय हो रहीहैं। गैर-वसूली के सभी मामलोंका विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। | ऑडिटके दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया हैजो आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाए। |



| | | |
|-----|---|---|
| IV | <p>बैंक सुलहस्टेटमेंट (बी. आर. एस.) कामिलाननगर पारिषद (यु. एल. बी.) के रिकार्ड्स और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा।</p> <p>यदि नगर पारिषद बैंक सुलहस्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे हैं विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।</p> | <p>ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रैमासिक) नहीं करती है। यह मिलान वार्षिक आधार पर करती है। ऑडिट अवधि में भी दोनों शेष भिन्न पाए गए हे उसके बाद, लेखा अधिकारी द्वारा सभी कैश बुक को शामिल करने के बाद बैंक सुलह स्टेटमेंट मिलान पाया गया अनुसूची -2 देखें।</p> <p>अनुसूची -2 देखें.</p> |
| V | <p>ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>अनुदान सम्बंधित प्राप्तिया और भुगतान का मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जाएगा।</p> | <p>ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान रजिस्टर और रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि है और लेखा नियमों अनुरूप पाया है।</p> |
| VI | <p>ऑडिटर स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>यदि स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा।</p> | <p>ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थायी संपत्ति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच कि है और लेखा नियमों अनुरूप पाया है।</p> |
| VII | <p>ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।</p> | <p>ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेज की जाँच कि है और नियमों अनुरूप</p> |



| | | |
|-----------|--|---|
| | | पाया है । |
| 4. | <u>स्थायी जमा (ऍफ़. डी.) का ऑडिट:</u> | |
| I | ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का ऑडिट करने लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गएहै: |
| II | ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमाका समुचित रिकॉर्ड रखा जाता है और सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय पर कर रहे हैं। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा की परीक्षा कि है, नगर परिषद द्वारा स्थायी जमा (ऍफ़.डी.) एवं टर्म जमा का नवीकरण समय पर किया जा रहा हैं। |
| III | यदि नगर परिषद ने ऍफ़.डी. एवं टर्म जमाप्रचलित दर से कम ब्याज दरों पर निवेश किया हैंतोऐसे मामलों को तुरंत आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा। | ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया हैजो आयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाए। |
| IV | ऑडिटर द्वारा ऍफ़.डी. एवं टर्म जमापर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियोंको बही खाता में सत्यापित किया जायेगा । | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही की प्रविष्टियों जाँच कि है पाया की नगर परिषद ने अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियाँ को लेखा नियमों के अनुरूप सालाना प्रविष्ट किया है । |
| 5. | <u>निविदाएं/बोलियोंका ऑडिट:</u> | |
| I | ऑडिटर सभी निविदाएं/बोली जो नगर परिषद | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा |



| | | |
|-----|---|--|
| | द्वारा आमंत्रित की गयी थीकी जाँच करने लिए जिम्मेदार है। | उपलब्ध कराए गए सभी निविदाएं/बोली सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गए है: |
| II | ऑडिटर जाँच करेगा कि नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयीहैं। | इस सम्बन्ध में ऑडिटर का यह निष्कर्ष हे की नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया का पालन तो किया हे परन्तु कुछ खामिया भी पाई गयी हे: अनुसूची - 5 देखें. |
| III | ऑडिटर निर्माण या रखरखाव सम्बंधित कार्य की निविदा शुल्क/बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सम्बंधित दस्तावेज (निविदा शुल्क/बोली प्रोसेसिंग शुल्क / परफॉर्मंस गारंटी की रसीद) की जाँच कि हैऔर नियमों अनुरूपपाया है । |
| IV | यदिनगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्कतथा परफॉर्मंस गारंटीके स्थान पर बैंक गारंटीस्वीकार की हे तो उसका भी सत्यापन किया जायेगा। | नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है। |
| V | यदिनगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध बैंक गारंटीस्वीकार की हेतो बैंक गारंटी की शर्तेभीसत्यापित करें, यदि शर्ते नगर परिषद के हित के विरुद्ध हे तो तुरंतआयुक्त / सी. एम. ओ.की सूचना में लाया जाएगा। | नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है। |



| | | |
|-----|---|---|
| VI | यदिनगर परिषद द्वारा स्वीकार की गई बैंक गारंटीके विस्तार के सम्बंधित मामलों आयुक्त/सीएमओकी सूचना में लाया जाएगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। | नगर परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है। |
| VII | ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जाएंगे | अनुबंध बंद की जाँच की और संतोषजनक पाया। |
| 6 | अनुदान और ऋणका ऑडिट: | |
| I | ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋणएवंसरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसकेउपयोगकी जाँचके लिए जिम्मेदार है। | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणएवंसरकारी अनुदान सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नीचे दिए गएहै: |
| II | ऑडिटर राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसकेउपयोग की जाँचके लिए जिम्मेदार है | ऑडिटर ने नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य सरकार अनुदानऔर उसके उपयोग सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा कि है. |
| III | ऑडिटरनगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिया था) और उसकेउपयोग की जाँचके लिए जिम्मेदार है । | नगर परिषद द्वारा ऑडिट की अवधी में किसी भी प्रकार का लोन नहीं लिया है |
| IV | ऑडिटरऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिप्पणी करेगा, ऑडिटर यह | नगर परिषद द्वारा लोन नहीं लिया गया है |



| | | |
|----|---|--|
| | रिपोर्टकरेगा की ऋणजो संपत्ति ऋण लेकर बनायीं गयी है, उससे वांछित राजस्व उत्पन्न हो भी रही है या नहीं। | |
| V | ऑडिटर गैर -राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिप्पणी करेगा। | ऑडिट के दौरान पाया गया है की, फायर ब्रिगेड सम्बंधित लोग बुक में नगर परिषद द्वारा निरन्तर रूप से प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है, अनुसूची - 4 देखें. |
| VI | ऑडिटर विशेष रूप से इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों /अनुदान/ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है। | ऐसे कोई विशिष्ट विचलन नहीं पाया गया है. |

वर्ष २०१९-२० के सम्बन्ध में आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता अनुसूची क.

4 और 5 में सलग्र है

धन्यवाद

फॉर पितलिया एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीयन क्र.016218 सी

Atonisueep



सी. ए.अभिषेक पितलिया

पंजीयन क्र. 413249

दिनांक: 21-09-2020

UDIN: 20413249AAAADG6612 स्थान: पिपलिया मंडी

अनुसूची क्र. 1

A) राजस्व लक्ष्य और वसूली का विवरण:

| क्रमांक | मद का नाम | बजट 2019-20 | वास्तविक आय वर्ष 2019-2020 | वास्तविक % |
|---------|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 1 | सम्पत्ति कर चालू | 600000 | 343678 | 57.28% |
| 2 | सम्पत्ति कर बकाया | 650000 | 309617 | 47.63% |
| 3 | समेकित कर चालू | 325000 | 202332 | 62.26% |
| 4 | समेकित कर बकाया | 450000 | 243840 | 54.19% |
| 5 | विकास उपकर चालू | 165000 | 97656 | 59.19% |
| 6 | विकास उपकर बकाया | 165000 | 88544 | 53.66% |
| 7 | शिक्षा उपकर चालू | 170000 | 99301 | 58.41% |
| 8 | शिक्षा उपकर बकाया | 198000 | 91054 | 45.99% |
| 9 | जलकर चालू | 1056000 | 604050 | 57.20% |
| 10 | जलकर बकाया | 548000 | 448270 | 81.80% |
| 11 | दुकान किराया चालू | 75000 | 130731 | 174.31% |
| 12 | दुकान किराया बकाया | 35000 | 26568 | 75.91% |

B) वास्तविक राजस्व और वास्तविक वसूली का विवरण 2018-19 एवं 2019-20 और ग्रोथ

| क्रमांक | मद का नाम | वास्तविक आय वर्ष 2018-2019 | वास्तविक आय वर्ष 2019-2020 | Growth | Growth% |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 1 | सम्पत्ति कर चालू | 254100 | 343678 | 89578 | 35.25% |
| 2 | सम्पत्ति कर बकाया | 205691 | 309617 | 103926 | 50.53% |
| 3 | समेकित कर चालू | 120960 | 202332 | 81372 | 67.27% |
| 4 | समेकित कर बकाया | 144410 | 243840 | 99430 | 68.85% |



| | | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|--------|----------|
| 5 | विकास उपकर चालू | 74271 | 97656 | 23385 | 31.49% |
| 6 | विकास उपकर बकाया | 60990 | 88544 | 27554 | 45.18% |
| 7 | शिक्षा उपकर चालू | 74488 | 99301 | 24813 | 33.31% |
| 8 | शिक्षा उपकर बकाया | 60332 | 91054 | 30722 | 50.92% |
| 9 | जलकर चालू | 436560 | 604050 | 167490 | 38.37% |
| 10 | जलकर बकाया | 182960 | 448270 | 265310 | 145.01% |
| 11 | दुकान किराया चालू | 3666 | 130731 | 127065 | 3466.04% |
| 12 | दुकान किराया बकाया | 37941 | 26568 | -11373 | -29.98% |

PITLIA & COMPANY

अनुसूची क्र.2

बैंक बैलेंस एवं कैश बुक बैलेंस मिलान सम्बंधित विवरण:

ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा कैश बुक शेष एवं बैंक बुक शेष मिलान निरंतर रूप से (मासिक/ त्रैमासिक) नहीं किया जाता है। यह मिलान वार्षिक आधार पर करती है। ऑडिट अवधि में दोनों शेष मिलान पाए गए हे और उसका विवरण इस प्रकार हे:

| बैंक का नाम | बैंक खाता | बैंक स्टेटमेंट अनुसार शेष राशि | केशबुक अनुसार शेष राशि | अंतर की राशि | अंतर का कारण |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| भारतीय स्टेट बैंक | 53026372091 | 10284752.75 | 10284752.75 | 0 | 0 |
| ईलाहाबाद बैंक | 50204538977 | 1483326.63 | 1483326.63 | 0 | 0 |
| ईलाहाबाद बैंक | 50156129582 | 256582 | 256582 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---------------|---------------|----------|----------|---|---|
| ईलाहाबाद बैंक | 50193360617 | 11422375 | 11422375 | | |
| केनरा बैंक | 5561201000072 | 1788729 | 1788729 | 0 | 0 |

प्रधानमंत्री आवास योजना

| बैंक का नाम | बैंक खाता | बैंक स्टेट मेंट अनुसार शेष राशि | केशबुक अनुसार शेष राशि | अंतर की राशि | अंतर का कारण |
|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| ईलाहाबाद बैंक | 50356599459 | 7834215 | 7834215 | 0 | 0 |

PITLIA & COMPANY

एफडीआर

| बैंक का नाम | बैंक खाता | राशि | परिपक्ता राशि | अंतर की राशि | अंतर का कारण |
|-------------------|-------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| भारतीय स्टेट बैंक | 53026372091 | 7000000 | 7495642 | 0 | 0 |
| ईलाहाबाद बैंक | 50156129582 | 1933000 | 1933000 | 0 | 0 |

अनुसूचीक्र. 3

निविदाएं/ बोलियों सम्बंधित विवरण



ऑडिटरने नगर परिषद द्वारा निमंत्रित निविदा सम्बंधित दस्तवेज की जाँच की और पाया कि नगर परिषद ने नियम के अनुसार निविदा प्रक्रिया का पालन किया है, परन्तु ऑडिटर ने कुछ अनियमितता कि खोज है, कुछ कंस्ट्रक्शन ठेके निश्चित कार्य अवधि (कार्य आदेश में इंगित समय के भीतर) में पूर्ण नहीं हुए है तथा नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार का समय विस्तार भी नहीं प्रदान किया है | परिषद द्वारा कार्य अविधि बढ़ाये जाने का प्रावधान प्रचलित है |

अनुसूची क्र. 4

प्राप्ति एवमं भुगतान खाता वर्ष २०१९-२०

| वास्तविक प्राप्ति | राशि | वास्तविक भुगतान | राशि |
|--------------------|---------|--------------------------|---------|
| संपत्तिकर बकाया | 42948 | सामान्य प्रशासन सीपना | 2675938 |
| संपत्तिकर चालु | 215613 | यात्रा भत्ता | 35670 |
| समेकितकर बकाया | 33901 | सामान्य प्रशासन आक. | 3021294 |
| समेकितर चालु | 224130 | राजस्व संग्रहण स्थापना | 2342227 |
| शिक्षाकर बकाया | 12029 | राजस्व आकस्मिकता | 23716 |
| शिक्षाकर चालु | 71572 | प्रकाश व्यवस्था उपकरण | 4100 |
| नगर विकास बकाया | 7961 | विधुत प्रवाह व्यय | 104803 |
| नगर विकास चालु | 45585 | जलप्रदाय स्थापना | 1049361 |
| ठोस अप संग्र बकाया | 4320 | जलप्रदाय अस्थाई सीपना | 450820 |
| ठोस अप संग्र चालु | 30088 | जलप्रदाय सप्लय आकस्मिकता | 59889 |
| चुंगी क्षतिपूर्ति | 7628390 | सफाई व्यवस्था आकस्मिकता | 17375 |
| यात्रीकर अनुदान | 472000 | सडक सफाई स्थापना | 4823765 |
| बाजार फीस | 45140 | सफाई मस्टर स्थापना | 774599 |



| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------|
| अस्थाई दखल | 45900 | वृक्ष वर्धन वाटिका | 94290 |
| अस्थाई भूमि किराया | | लोक निर्माण स्थापना | 538226 |
| प्रिमियम से आय | 1885000 | वाचनालय | 4112 |
| धर भवन दुकान चालु | 206543 | सार्व मेला प्रदर्शनी | 1022558 |
| घर भवन दुकान बकाया | 13793 | चुनाव खर्च | 48389 |
| वधकर | 13120 | टेलिफोन खर्च | 25596 |
| आवेदन शुल्क | 464868 | लेखाफीस | 91305 |
| पमाणपत्र शुल्क | 118500 | विवध व्यय | 1200 |
| क्षतिपूर्ति समझोता | 250 | डिपाजिट | 222181 |
| विविधानो पर ब्याज | | मुलभुत अनुदान से खर्च | 5182523 |
| मुद्रांक शुल्क | 109000 | सडक अनु से खर्च | 1388338 |
| जलकर चालु | 453935 | 14 वित्त अनुदान से खर्च | 7247877 |
| जलकर बकाया | 65665 | विशेष प्रयाजनार्थ से व्यय | 1557626 |
| जल प्रदाय से आय | | नविन कार्या भवन निर्माण | 3987473 |
| विविध आय | 228353 | डॉ अम्बेडकर मंगल भवन विस्तार कार्य | 1695732 |
| डिपाजिट | 325559 | आगनवाडि भवन निर्माण | 5752 |
| मुलभुत सुविधा अनुदान | 1584000 | जीएसटी वापसी | 309421 |
| सडक अनुरक्षण अनुदान | 474000 | स्वच्छता मिशन आईईसी गतिविधि | 245396 |
| राज्य वित्त अनुदान | 1327000 | स्वच्छ भारत मिशन एमआर एफ निर्माण | 792268 |



| | | | |
|---|----------|-----------------|----------|
| 14 वित्त अनुदान | 5286000 | | |
| मुख्यमंत्री मंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण | 16000000 | | |
| स्वच्छता मिशन नविन कचरा वाहन क्रय | 350000 | | |
| स्वच्छता मिशन सार्व शौचालय निर्माण | 1434000 | | |
| एम.आर.एफ. प्लाट अनुदान | 1005000 | | |
| जी.एस.टी. दुकान किराया | 33282 | | |
| बाबा रामदेव मेला अनुदान | 650000 | | |
| एफ.एस.टी.पी. प्लाट | 530000 | | |
| आई.ई.सी. गतिविधि | 500000 | क्लोजिंग बैलेंस | 2093625 |
| | 41937445 | | 41937445 |

अनुसूची क्र.5

आय एवं व्यय खाता 2019-20

| वास्तविक आय | राशि | वास्तविक व्यय | राशि |
|-----------------|--------|------------------------|---------|
| संपत्तिकर बकाया | 42948 | सामान्य प्रशासन सीपना | 2675938 |
| संपत्तिकर चालु | 215613 | यात्रा भत्ता | 35670 |
| समेकितकर बकाया | 33901 | सामान्य प्रशासन आक. | 3021294 |
| समेकितर चालु | 224130 | राजस्व संग्रहण स्थापना | 2342227 |
| शिक्षाकर बकाया | 12029 | राजस्व आकस्मिकता | 23716 |



| | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| शिक्षाकर चालु | 71572 | प्रकाश व्यवस्था उपकरण | 4100 |
| नगर विकास बकाया | 7961 | विधुत प्रवाह व्यय | 104803 |
| नगर विकास चालु | 45585 | जलप्रदाय स्थापना | 1049361 |
| ठोस अप संग्र बकाया | 4320 | जलप्रदाय अस्थाई सीपना | 450820 |
| ठोस अप संग्र चालु | 30088 | जलप्रदाय सप्लय आकस्मिकता | 59889 |
| चुंगी क्षतिपूर्ति | 7628390 | सफाई व्यवस्था आकस्मिकता | 17375 |
| यात्रीकर अनुदान | 472000 | सडक सफाई स्थापना | 4823765 |
| बाजार फीस | 45140 | सफाई मस्टर स्थापना | 774599 |
| अस्थाई दखल | 45900 | वृक्ष वर्धन वाटिका | 94290 |
| अस्थाई भूमि किराया | | लोक निर्माण स्थापना | 538226 |
| प्रिमियम से आय | 1885000 | वाचनालय | 4112 |
| धर भवन दुकान चालु | 206543 | सार्व मेला प्रदर्शनी | 1022558 |
| घर भवन दुकान बकाया | 13793 | चुनाव खर्च | 48389 |
| वधकर | 13120 | टेलिफोन खर्च | 25596 |
| आवेदन शुल्क | 464868 | लेखाफीस | 91305 |
| पमाणपत्र शुल्क | 118500 | विवध व्यय | 1200 |
| क्षतिपूर्ति समझोता | 250 | डिपाजिट | 222181 |
| विविधानो पर ब्याज | | मुलभुत अनुदान से खर्च | 5182523 |
| मुद्रांक शुल्क | 109000 | सडक अनु से खर्च | 1388338 |
| जलकर चालु | 453935 | 14 वित्त अनुदान से खर्च | 7247877 |
| जलकर बकाया | 65665 | विशेष प्रयाजनार्थ से व्यय | 1557626 |
| जल प्रदाय से आय | | नविन कार्या भवन निर्माण | 3987473 |



| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| विविध आय | 228353 | डॉ अम्बेडकर मंगल भवन विस्तार कार्य | 1695732 |
| डिपाजिट | 325559 | आगनवाडि भवन निर्माण | 5752 |
| मुलभुत सुविधा अनुदान | 1584000 | जीएसटी वापसी | 309421 |
| सडक अनुरक्षण अनुदान | 474000 | स्वच्छता मिशन आईईसी गतिविधि | 245396 |
| राज्य वित्त अनुदान | 1327000 | स्वच्छ भारत मिशन एमआर एफ निर्माण | 792268 |
| 14 वित्त अनुदान | 5286000 | | |
| मुख्यमंत्री मंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण | 16000000 | | |
| स्वच्छता मिशन नविन कचरा वाहन क्रय | 350000 | | |
| स्वच्छता मिशन सार्व शौचालय निर्माण | 1434000 | | |
| एम.आर.एफ. प्लाट अनुदान | 1005000 | | |
| जी.एस.टी. दुकान किराया | 33282 | | |
| बाबा रामदेव मेला अनुदान | 650000 | | |
| एफ.एस.टी.पी. प्लाट | 530000 | | |
| आई.ई.सी. गतिविधि | 500000 | | |
| | 41937445 | | 39843820 |



धन्यवाद

फॉर पितलियाएंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीयन क्र.016218 सी

Atonisheep



सी. ए.अभिषेक पितलिया

पंजीयन क्र. 413249

PITLIA & COMPANY

UDIN:20413249AAAADG6612

दिनांक: 21-09-2020

स्थान: पिपलिया मंडी

